




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL  
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP00211338655938M  
Certificate Issued Date : 04-Jan-2014 01:19-PM  
Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ LUCKNOW/ UP-LKN  
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0100236448593308M  
Purchased by : ARSHA INFRA DEVELOPERS PVT LTD  
Description of Document : Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement  
Property Description : PLOT NO. 14/GH-13(C), VRINDAVAN SCHEME, LUCKNOW.  
Consideration Price (Rs.) : 11,30,50,000  
(Eleven Crore Thirty Lakh Fifty Thousand only)  
First Party : U P AWAS EVAM VIKAS PARISHAD  
Second Party : ARSHA INFRA DEVELOPERS PVT LTD  
Stamp Duty Paid By : ARSHA INFRA DEVELOPERS PVT LTD  
Stamp Duty Amount(Rs.) : 79,14,000  
(Seventy Nine Lakh Fourteen Thousand only)



Please write or type below this line



सहायक

आवंटी



सहायक

सहायक आवास आयुक्ता  
वृन्दावन योजना, लखनऊ

YL 0000004196

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilstamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.


ROOPALI FANDEY  
Asst. Manager





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 982622



उत्तर प्रदेश. आवास एवं विकास परिषद  
ग्रुपहाउसिंग भूखण्ड के लिए किराया किश्त कय का अनुबन्ध

यह अनुबन्ध आज दिनांक..... 06..... माह..... 01..... दो हजार..... को  
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन संगठित उत्तर  
प्रदेश आवास एवं विकास परिषद जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है और  
जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के जिसे एतदपश्चात 'स्वामी' कहा गया है,  
जिस पद के अन्तर्गत जब तक कि कोई बात प्रसंग से असंगत न हो, उसका  
उत्तराधिकारी या समनुदेशिनी भी है या जिसका तात्पर्य उसके उत्तराधिकारी या  
समनुदेशिनी भी है।

For Arshia Intra Developers Pvt. Ltd.  
Authorized Signatory

आवंटी

कमश: 2 पर

सहायक आवास आयुक्त  
वृन्दावन योजना, लखनऊ

अंश

दिनांक

दिनांक 4/11/2014

दिनांक 100

दिनांक

दिनांक

Handwritten signature and text in Hindi, possibly including 'श्री' and 'श्री'.


Handwritten mark or signature.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 982623



(2)

माध्यम से होता है । एक पक्ष और मैसर्स आर्षा इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा०लि० द्वारा निदेशक श्री मथुरेश श्रीवास्तव पता:- 2/334, विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ जिसे एतत्पश्चात किराया-किश्त केता कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत जब तक कि प्रसंग या अर्थ से कोई बात असंगत न हो , इसमें एतत्पश्चात यथा उपबन्धित अनुमोदित नाम निर्देशिती और उसके न होने पर उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिती भी है , दूसरे पक्ष के बीच किया गया ।

For Areha Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorized Signatory  
आवटी

कमशः 3 पर

सहायक आयुक्त  
वृन्दावन योजना, लखनऊ

1000


1000

1000

1000

4/11/2014  
1000 (1000) 2000 3000 4000 5000


Q





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 982624



(3)

चूंकि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की एक ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड आवंटन योजना के अधीन किराया-किश्त केता ने स्वामी से किराया किश्त कय योजना के अधीन एक ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का आवंटन करने के लिये पृथक रूप से आवेदन किया है और स्वामी ने एतत्पश्चात निर्धारित निबन्धन और शर्तों पर किराया-किश्त केता को ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का आवंटन करने के लिए आवंटित करने की सहमति दे दी है ।

For Arsha Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

आवंटी

कमशः 4 पर


सहायक आवास आधुनिकीकरण  
संयोजक, लखनऊ





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 982625



(4)

और चूंकि किराया-किश्त केता ने 30% धनराशि रु० 3,39,15,000.00 (शब्दों में केवल रु० तीन करोड़ उनतालिस लाख पन्द्रह हजार मात्र) का भुगतान प्रथम किश्त के रूप में कर दिया है जिसमें टोकन हेतु जमा बयाना धनराशि सम्मिलित है

For Arsha Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorized Signatory  
आवदी

कमश: 5 पर

सहायक उत्तर प्रदेश आयुक्त  
वृन्दावन योजना, लखनऊ

श्रीधर कौशिक, अध्यक्ष

दिनांक ५/११/२०१५

पृष्ठ १००

गोप्य

द्वारा

श्रीधर कौशिक


*(Signature)*





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 982626



(5)

उक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 14/GH-13 का कुल मूल्य  
रु० 11,30,50,000.00 (रु० ग्यारह करोड़ तीस लाख पचास हजार मात्र) जिसका  
आधा रु० 5,65,25,000.00 (रु० पाँच करोड़ पैंसठ लाख पच्चीस हजार मात्र)  
होता है। आवंटी द्वारा यदि किश्तों का नियमित भुगतान नहीं किया जाता है तो  
उसे नियमानुसार ब्याज/दण्ड ब्याज भी देय होगा।

अब यह विलेख इस बात का साक्षी है कि स्वामी एतद्वारा किराया-किश्त  
केता से प्रसंविदा करता है और सहमत है और किराया-किश्त भी एतद्वारा स्वामी  
से निम्नलिखित रीति से प्रसंविदा करता है और सहमत है अर्थात्।

For Arsha Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

आवंटी

कमशः 6 पर


सहायक आवास आयुक्त  
वृन्दावन योजना, लखनऊ





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 982627



(6)

1- किराया -किश्त केता को गुप हाउसिंग भूखण्ड के रूप में सम्पत्ति का जिसकी संख्या 14/GH-13 है और जो वृन्दावन योजना संख्या-4 के लखनऊ में सेक्टर संख्या-14 में स्थित है। और जिसे अधिक स्पष्ट करने के लिये इसमें आगे दी गयी अनुसूची-एक में सीमाओं के साथ अधिक विशिष्ट रूप से वर्णित किया गया है, कब्जा दिया जायेगा।

For Arsha infra Developers Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

आवंटी

कमश: 7 पर

सहायक आवास जायुक्त  
वृन्दावन योजना, लखनऊ

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक: ५/११/७५  
मूल्य: १००/- कागज रु १००/- इकठ्ठा ०१५५  
नाम: .....

द्वारा: .....

  
रेकॉर्डिंग





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 982628



(7)

2-किराया-किश्त केता उक्त सम्पत्ति किरायेदार के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अधीन 06 (छः) वर्ष की एक नियत अवधि तक ग्रहीत करेगा जो वर्ष दो हजार तेरह के अगस्त-13 मास के प्रथम दिनांक से प्रारम्भ होगी और वर्ष 2019 के जुलाई मास के अन्तिम दिनांक को समाप्त होगी:-

For Arsha Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorized Signatory  
आवक

सहायक आवास आवक  
वृन्दावन योजना, लखनऊ

कमशः 8 पर

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक.....

५/११/२०१५

मूल्य.....

₹ १०० (एक सौ रुपये)


नाम.....

द्वारा.....



रेकॉर्डिंग






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 982629

(8)



(3) किराया-किश्त-केता स्वामी की ओर किसी मांग के बिना किश्त करी  
अवधि की समाप्ति तक प्रत्येक मास के 01.09.2013 दिनांक प्रथम का  
केवल रु० 49,32,485.00 की त्रैमासिक किश्त का भुगतान करेगा।

कमश: 9 पर

आवंटी

For Arsha Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

सहायक आयुक्त  
वृन्दावन योजना, लखनऊ





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 982630



(9)

(क) किराया-किश्त-केता रु० 49,32,485.00 ( रु० उनचास लाख बत्तीस हजार चार सौ पच्चासी मात्र) की त्रैमासिक किश्त मांग की प्रतीक्षा किए बिना उसी माह में जिसमें मासिक किश्त देय हो जाय, प्रत्येक माह के प्रथम दिनांक तक स्वामी के कार्यालय में या निर्दिष्ट स्थान पर भुगतान करेगा जिसका ऐसा प्रथम भुगतान इसमें ऊपर उल्लिखित किराया-किश्त केता द्वारा पहले ही कर दिया गया और जिसे माह अगस्त-13 की प्रथम किश्त के रूप समझा जाय और ऐसा आगामी भुगतान वर्ष-2013 के माह सितम्बर-13 के अन्तिम दिनांक को या उसके पूर्व प्रत्येक कैलेण्डर मास के तुरन्त बाद किराया-किश्त कय की अवधि तक देय हो जाय या भुगतान योग्य हो जाय।

For Arsha Intra Developers Pvt. Ltd

Authorized Signatory

आवंटी

कमशः 10 पर

सहायक आवास आयुक्त  
वृन्दाजन योजना, लखनऊ






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 982631

(10)



(ख) किराया-किश्त को आवंटन की योजना में यथा निर्धारित नगरपालिका के या अन्य प्रकार के सभी करों, फीस, प्रभार निर्धारित कर ऐसे अन्य उदग्रहण की धनराशि का, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, जो स्थानीय निकाय द्वारा या राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी अन्य प्राधिकृत अभिकरण द्वारा उसके सम्बन्ध में भू-स्वामी या किरायेदार को एतद्वारा किराये पर दी गयी उक्त सम्पत्ति पर लगाई गयी हो, प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध प्राधिकारियों को भुगतान करेगा। किराया-केता-स्वामी को सम्पत्ति कर, जल प्रभार, सीवर ब्यवस्था के प्रभार का, जैसा कि स्वामी द्वारा समय-समय पर उदग्रहीत किया जाय, भुगतान करेगा।

कमरा: 11 पर

For Arsha Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorized Signatory  
आवले

सहायक आसफ अयुक्त  
वृन्दावन योजना, लखनऊ

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक

५५/२०१५

पृष्ठ

१० ~~४१५१~~ २६३७५६७५

नाम

द्वारा

  
रिक्त






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 982632

(11)



परन्तु किराया-किश्त केता की ओर से ऐसा भुगतान न किये जाने की दशा में स्वामी का ऐसी देय धनराशि को भू-राजस्व के बकाये के रूप में या ऐसी अन्य रीति से जो विधि संगत हो, वसूल करने और उसे किश्त के बकाये के रूप में मानने की शक्ति होगी ।

(ग) किराया-किश्त केता सम्पत्ति के साथ-साथ सम्भरण, जल निस्तारण, बिजली और किन्हीं ऐसी अन्य सेवाओं से सम्बन्धित उसके प्रतिष्ठानों की मरम्मत (जिसे पद के अन्तर्गत सामान्य, और आवश्यक वार्षिक भीतरी और बाहरी रंगाई और पुताई, सफाई भी) । स्वामी के या ऐसे व्यक्ति के जिसे स्वामी इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, समाधानप्रद रूप से स्वयं अपने खर्च पर करायेगा और उसे समुचित रूप से ठीक दशा और स्थिति में रखेगा ।

For Arsha Infra Developers Pvt. Ltd.

आवासीय  
Authorised Signatory

कमशः 12 पर

सहायक आवास आयुक्त  
वृन्दावन योजना, लखनऊ

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक..... 4/11/2014

शुल्क..... 100

वारा.....

9

रोकड़िया





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 982633



(12)

(घ) किराया-किश्त केता ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई बात नहीं करेगा या करने देगा जो स्वामी या उसी कालोनी के अन्य ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों के अध्यासियों की या पड़ोसियों की राय में लोक कण्टक हो और जो उस प्रयोजन के अनुरूप न हो जिसके लिये योजना बनाई गई।

कमश: 13 पर

आवंटी

For Arsha Infra Developers Pvt Ltd.

Authorized Signatory

सहायक आवास आयुक्त  
वृन्दावन योजना, लखनऊ






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 982634

(13)



(ड) किराया-किश्त क्रेता एतद्वारा स्वीकृत अवधि के दौरान सभी युक्तियुक्त समय पर स्वामी या स्वामी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किन्हीं ब्यक्तियों को उक्त सम्पत्ति में और उस पर प्रवेश करने की मरम्मत की स्थिति का निरीक्षण करने की अनुमति देगा और यदि ऐसा निरीक्षण करने पर स्वामी को यह प्रतीत हो कि कोई साम्प्रतिक या विशेष मरम्मत आवश्यक हैं तो स्वामी किराया-किश्त क्रेता के खर्च पर करवा सकता है और किराया-किश्त क्रेता एतद्वारा स्वामी को ऐसी धनराशि का भुगतान करके जिसे स्वामी (जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा) इस निमित्त नियत करे, ऐसे खर्च की प्रतिपूर्ति करने की सहमति देता है।

कमशः 14 पर

आवंटी

For Arsha Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorized Signatory


सहायक आवास आयुक्त  
वृन्दावन योजना, लखनऊ





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 983301



(14)

(च) किराया किश्त केता स्वामी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य ब्यक्ति को उक्त सम्पत्ति में उस पर ऐसे कर्मकारों के साथ प्रवेश करने की अनुमति देगा जो पाइप-लाइन, सीवर लाइन या कोई विद्युत आपूर्ति लाइन या उससे सम्बन्धित किसी कार्य के लिये कोई सर्विस लाइन बिछाने, उसकी मरम्मत करने या उसे निश्चित स्थान पर लगाने के प्रयोजन के साथ-साथ उक्त सम्पत्ति में बिछाई गयी किसी सर्विस लाइन से किन्हीं अन्य सम्पत्ति को जोडने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हो ।

कमश: 15 पर

आवंटी

For Arsha Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorized Signatory


सहायक आवास आयुक्त  
वृन्दावन योजना, लखनऊ





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 983302



(15)

(छ) किराया—किश्त केता स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना और सम्बद्ध प्राधिकारी को लिखित स्वीकृति या अनुमति के बिना भी उक्त सम्पत्ति में कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन नहीं करेगा और परिषद द्वारा पहले से स्वीकृत निर्माण पर कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन या करने की अनुमति नहीं देगा । परन्तु स्वामी अपने विवेकानुसार किसी परिवर्तन या परिवर्द्धन, चाहे जो भी हो, के लिये ऐसी अनुमति देने से इन्कार कर सकता है और उस निमित्त उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

कमशः 16 पर

आवंटी

For Arsha Infra Developers Pvt

Authorized Signatory

सहायक आवास आयुक्त  
वृन्दावन योजना, लखनऊ


आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक..... ५/११/२०१५

मूल्य..... १.००

नाम.....

व्यक्ति.....


  
रकड़िया

इसके अलावा ३ (३) डेकड पत्र आर





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



(16)

(ज) किराया- किश्त केता स्वामी की लिखित पूर्व सहमति के बिना जिसे वह अपने स्पष्ट विवेकानुसार अस्वीकृत करने का हकदार होगा, उक्त सम्पत्ति के सम्पूर्ण या किसी भाग का विक्रय, अन्तरण, समनुदेशन नहीं करेगा या कब्जे से अन्यथा अलग नहीं होगा। परन्तु सहमति दिये जाने की दशा में सम्पत्ति का ऐसा प्रत्येक अन्तरण समनुदेशन केवल इस किरायेदारी की शेष अवधि के लिए होगा और यथास्थिति अन्तरिती या समनुदेशिती इसमें दिये गये निबन्धनों और शर्तों से आबद्ध होगा और उसकी सभी बातों के लिये स्वामी के प्रति उत्तरदायी होगा

कमशः 17 पर

आवंटी

For Arsha Intra Developers Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

सहायक आवास आयुक्त  
पुनर्वास योजना, लखनऊ

.....

.....

.....

.....

4/11/2019  
100 रु. का (100) का चेक


9





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 983304



(17)

परन्तु यह भी कि ऐसा कोई भी समुनुदेशन या अन्तरण वैध या अनुमन्ध नहीं होगा जहां समनुदेशिती या अन्तरिती कोई ऐसा ब्यक्ति है जो योजना में यथा उपबन्धित पात्रता की अपेक्षाओं को पूरा न करता हो ।

कमशः 18 पर

आवंटी

सहायक आवास आयुक्त  
वृन्दावन योजना, लखनऊ

For Arsha Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

.....

..... 4/11/2014

..... 100

.....

.....

④  
.....


.....





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 983305



(18)

(अ) किराया-किश्त केता इस किरायेदारी की अवधि के दौरान इसमें नीचे दी गयी अनुसूची-दो में दिये गये किरायेदारी सम्बन्धी अनुबन्धनों का पालन करेगा ।

(अ) किराया किश्त केता किसी भी स्तर पर किन्हीं कारणों से चाहे जो भी हो जैसा कि योजना में सम्पत्ति के विभव के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से उपबन्धित है सम्पत्ति के बारे में ऐसी शिकायत करने से विरत रहेगा जिससे आपत्तिया उठे या दावे प्रस्तुत किये जाये ।

कमश: 19 पर

आवंटी

For Arsha Infra Developers P.V. Ltd

Authorized Signatory

सहायक आवास आयुक्त  
वृन्दावन योजना, लखनऊ

.....

..... ५११२०१५

..... १७०

.....

.....

.....


.....





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 983306



(19)

(ट) किराया-किश्त कंता इस योजना के अधीन उसपर जाने वाले ऐसे सभी उत्तर दायित्वों का निर्वाहन करेगा जो इस विलेख के अंग समझे जायेंगे और इनके बारे में इस अनुबन्ध पत्र के पक्षकारों के बीच एतद्वारा सहमति है।

(ठ) उक्त सम्पत्ति कराया-किश्त कंता के हित के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकता है, फिर भी किराया-किश्त कंता एतद्वारा स्वामी को किसी ऐसी सम्भाव्यता के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति करने का बचन देता है।

कमशः 20 पर

आवंटी

सहायक आवास आयुक्त  
वृन्दावन योजना, लखनऊ

For Arsha Intra Developers Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

आवक संख्या, संवत्संख्या

दिनांक ५/11/2014

रुपया 100

नाम

द्वारा


डा. वि. सु. डेकराकर

रेकडिया





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



(20)

(ड) किराया किश्त केता किसी भी प्रकार की दुर्घटना के फलस्वरूप उक्त समपत्ति को क्षति पहुंचने या उसके नष्ट होने की दशा में एतद्वारा स्वामी को किसी भी उत्तरदायित्व से मुक्त करना है।

परन्तु इस अनुबन्ध के प्रवृत्त रहने तक किराया किश्त केता का यह कर्तव्य होगा कि सह इस बात का ध्यान रखे कि भूखण्ड, उपयोग के कारण उचित टूट-फूट को छोड़कर उसी दशा में बना रहे जिसमें वह प्रारम्भ में सौंपा गया था, किसी प्राकृतिक कारण से या आग लग जाने से क्षति होने की दशा में किराया-किश्त केता का यह कर्तव्य होगा कि वह भवन को पुनः उसकी मूल दशा में लाने के लिये आवश्यक मरम्मत कराये। भवन का आग लग जाने के जोखिम के प्रति परिषद द्वारा अनुमोदित बीमा कम्पनी से अनिवार्य रूप से बीमा कराया जायेगा आग लग जाने से क्षति होने की दशा में परिषद का दायित्व उस सम्बन्ध में परिषद को मिलने वाली बीमा की धनराशि तक ही सीमित होगा।

For Arsha Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorized Signatory  
आवडी

सहायक आवास आयुक्त  
वृन्दावन योजना, लखनऊ

कमश: 21 पर



(ढ) किराया-किश्त क्रेता अपने जीवन काल में लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर से ऐसे नाम निर्देशिनी को, जिसे वह उक्त सम्पत्ति में, जिससे उसकी मृत्यु हो जाने के रिश्ति में भूखण्ड के भावी स्वामित्व में उसका अधिकार भी सम्मिलित है, अपना अंश या हित अन्तरित करना चाहे, नाम निर्दिष्ट करेगा और उसे आवास आयुक्त के पास जमा कर देगा स्वामी किराया-किश्त क्रेता की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर तदनुसार अन्तरण करेगा जो स्वामी और सार्वजनिक निकायों के प्रति किराया-किश्त क्रेता के समस्त विद्यमान दायित्वों और बध्यता के अधीन होगा । इस प्रकार किये गये नाम निर्देशन को विखण्डित किया जा सकता है और किराया-किश्त क्रेता उपर्युक्त रीति से उसके स्थान पर दूसरा नाम निर्देशन कर सकता है ।

परन्तु किराया-किश्त क्रेता द्वारा ऐसा नाम निर्देशन न किये जाने पर क्रेता के वारिस/वारिसों को स्वामी द्वारा इस विलेख के हिताधिकारी/हिताधिकारियों के रूप में स्वीकार किया जायेगा ।

(ण) किराया किश्त क्रेता देयों का जिनका इस विलेख के अनुसरण में उसके द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है । पूरा और नियमित भुगतान करेगा । किश्तों के भुगतान के लिए उनके देय होने के दिनांक से एक मास की छूट दी जायेगी ।

वह किश्त में सम्मिलित साधारण ब्याज के अतिरिक्त प्रदेशन पत्र में उल्लिखित 17 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दण्ड ब्याज के भुगतान का देनदार होगा । यदि भुगतान छूट की अवधि के भीतर न किया जाय तो किराया-किश्त क्रेता तदनुसार किश्तों के वस्तुतः देय होने के दिनांक से निर्धारित 17 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के भुगतान का देनदार होगा लगातार तीन से अधिक किश्तों का भुगतान करने में व्यक्ति कम होने की दशा में किरायेदारी समाप्त समझी जायेगी और क्रेता को बेदखल किया जा सकेगा । स्वामी को देय समस्त बकाया धनराशि को भू-राजस्व के रूप में या ऐसी अन्य रीति से, जिसका विधि समर्थन करे, वसूल किया जा सकेगा । किराया-किश्त का जल सम्पूर्ति कनेक्शन तथा विद्युत कनेक्शन भी विच्छेदन किया जा सकेगा तथा निर्धारित शर्तों प्रकिया से पुनः संयोजन किया जा सकेगा ।

कमशः 22 पर

आवंटी

For Arsha Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

सहायक आयुक्त  
वृन्दावन योजना, लखनऊ



(त) यदि किराया-किश्त क्रेता सम्पत्ति या साझा भाग या साझा सेवाओं का उपयोग इस ढंग से करता है कि उसे क्षति पहुँचे या उसका क्षय हो या गलत कार्य के लिये उसका उपयोग हो, तो किराया-किश्त क्रेता ऐसी क्षति, क्षय होने या गलत उपयोग किये जाने के लिये स्वामी या पंजीकृत अभिकरण की तत्सम्बन्धी प्रभार का भुगतान करेगा।

(थ) यदि किराया-किश्त क्रेता किराया-किश्त कय की अवधि के समाप्त होने के पूर्व एतद्वारा स्वीकृत किरायेदारी को स्वतः समाप्त करना चाहे तो वह इसके लिये स्वामी को तीन महीने की नोटिस देगा और स्वामी सभी देयों के साथ-साथ इस अनुबन्ध के अनुसार किराया-किश्त क्रेता द्वारा किरायेदारी को इस प्रकार समाप्त के कारण होने वाली हानि की वसूली करेगा।

(द) इसमें इसके पूर्व दी गयी किसी बात के होते हुये भी, यदि कोई जांच की जायगी तो यदि आवश्यक हो, सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई के पश्चात यदि स्वामी की राय में जिसका विनिश्चय अन्तिम और आध्यकर होगा, किराया किश्त-क्रेता द्वारा ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के आवंटन के लिये उसके द्वारा दिये गये आवंटन पत्र में कोई गलत बयान किया गया हो या किन्हीं सारवान तथ्यों का छिपाया गया हो तो स्वामी के लिये किराया-किश्त क्रेता को बेदखल करना और सम्पत्ति का कब्जा लेना विधि पूर्ण होगा और तब यह अनुबन्ध समाप्त समझा जायेगा। और किराया-किश्त क्रेता द्वारा इस प्रकार जमा की गयी धनराशि का स्वामी को समपहरण हो जायेगा।

(ध) स्वामी एतद्वारा सहमत है कि किराया-किश्त क्रेता इस विलेख के अनुसार उसके द्वारा देय सभी भुगतान करके और इसमें दी गयी सभी शर्तों को पूरा करके और उनका पालन करके उक्त अवधि के दौरान स्वामी या उसके अधीन विधिपूर्वक दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी विधिपूर्ण विध्न या बाधा के सिवाय उक्त सम्पत्ति को किरायेदार के रूप में शान्तिपूर्वक ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा।

इसमें इसके पूर्व दी गयी किसी बात के होते हुये भी किरायेदार एतद्वारा किराया-किश्त कय के मूल्य में जो परिषद द्वारा नियत किया गया हो, भूमि के प्रतिकार में वृद्धि होने के कारण, या ठेकेदार के न्यायालय में जाने के परिणाम स्वरूप ठेकेदार के बिल में वृद्धि होने के कारण या ऐसी अन्य आकस्मिकता के कारण जिसका एतदपश्चात विनिश्चय किया जाए, कोई वृद्धि होने से उसका भुगतान करने के लिए सहमति है ऐसा भुगतान व्यय में इस प्रकार वृद्धि की आनुपातिक धनराशि होगी जो परिषद द्वारा नियत की जाएगी और किरायेदार के लिए अन्तिम और बाध्यकर होगी।

कमरा: 23 पर

आवंटी

For Arsha Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

सहस्यक आवास आयुक्त  
वृन्दावन शीजभा, लखनऊ



(23)

(न) उक्त भूखण्ड का किराया-किश्त केता एतद्वारा आवंटन के दिनांक से 5 वर्ष के भीतर भूखण्ड पर भवन का निर्माण करने और निर्माण कार्य पूरा करने के लिए सहमत है जिसमें विफल रहने पर परिषद द्वारा भूमि का पुनर्ग्रहण किया जा सकेगा। किराया-किश्त केता निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भवन का नक्शा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराएगा।

3. स्वामी एतद्वारा किराया-किश्त केता को किराया-किश्त कय की अवधि की समाप्ति के पश्चात विहित प्रपत्र में उसके साथ हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करके उक्त सम्पत्ति का अन्तरण करने के लिए सहमत है, परन्तु यह कि उसने ऐसे निष्पादन के पूर्व स्वामी को और सार्वजनिक निकायों को, यदि कोई हो, सभी देयों का भुगतान कर दिया हो। किराया-किश्त केता इसके बाद किरायेदार नहीं रहेगा और पैरा 5 में यथा उपबन्धित निष्पादित किये जाने वाले हस्तान्तरण विलेख के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सम्पत्ति का सम्पत्ति के रूप में स्वामी हो जायेगा।

4- यदि उक्त विनियमों और उनके अधीन किये गये अनुबन्ध की शब्दावली के निर्वचन के या अनुबन्ध के अनुसार किये गये या किये जाने के लिए प्रस्तावित किसी विनिश्चय के बारे में कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न हो तो आवास आयुक्त विनिश्चय करेगा और किराया-किश्त केता के लिए संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक ऐसा विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा।

अनुसूची- 1

वृन्दावन योजना लखनऊ स्थित निर्माण खण्ड- 03 के सभी ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड जिसकी संख्या 14/GH-13 एवं भूमि का क्षेत्रफल 6650.00 व०मी० है। सम्पत्ति की सीमा निम्नलिखित है :

उत्तर- हेल्थ सेन्टर	उत्तर- 70.00	मीटर
दक्षिण- 18.00 मीटर चौड़ी सड़क	दक्षिण- 70.00	मीटर
पूर्व- 12.00 मीटर चौड़ी सड़क	पूर्व- 95.00	मीटर
पश्चिम- ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं० 14/GH-14	पश्चिम- 95.00	मीटर

इस किराया किश्त कय अनुबन्ध पर परिषद की ओर से श्री बी०के०सिंह, सहायक आवास आयुक्त ने तथा आवटी मैसर्स आर्षा इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा०लि० द्वारा निदेशक श्री मथुरेश श्रीवास्तव आशयिता 14/GH-13 ने स्वयं स्वेच्छा से हस्ताक्षर किये हैं।

कमशः 24 पर

**आवटी**

For Arsha Intra Developers Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

सहायक आवास आयुक्त  
वृन्दावन योजना, लखनऊ




(24)

अनुसूची-2


इस अनुबन्ध पत्र पर इसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों के उपरोक्त दिनांक, मास और वर्ष को अपने हस्ताक्षर किए :-

स्थान लखनऊ  
दिनांक


प्रथम साक्षी हस्ताक्षर

- 1-हस्ताक्षर   
2-नाम :   
3-पता: 

द्वितीय साक्षी हस्ताक्षर

- 1-हस्ताक्षर :   
2-नाम : **MD. SAHIL AHMAD**  
3-पता: **SSI KA/34001, AZAD NAGAR  
ALAMBAGH, LKO**

प्रथम साक्षी

- 1-हस्ताक्षर :   
2-नाम :   
3-पता :


- 1-हस्ताक्षर :   
2-नाम :   
3-पता :




किराया किश्त केता का  
सुपाठ्य हस्ताक्षर और पता)

- 1- हस्ताक्षर:- **आवंटी**  
2-फर्म: मैसर्स आर्षा इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा०लि०  
द्वारा निदेशक श्री मथुरेश श्रीवास्तव  
3-पता:-2/334,विवेक खण्ड,गोमती नगर

लखनऊ  
For Arsha Infra Developer Pvt. Ltd.

  
Authorized Signatory

परिषद की ओर से एवं उसके लिए

  
सहायक आयुक्त, वृन्दावन  
सहायक आयुक्त, वृन्दावन  
वृन्दावन योजना, लखनऊ

कमशः 25 पर



(25)

किरायेदारी सम्बन्धी उपबन्ध

- (1) यह उपबन्ध किराया-किश्त केता पर लागू होंगे जो और जिसके साथ-साथ उसके फ्लैट/भूखण्ड/भवन का प्रत्येक उपयोगकर्ता संयुक्त रूप से पृथक-पृथक उनका पालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (2) किराया-किश्त केता अपने फ्लैट/भवन/भूखण्ड के भीतर, कूड़े, रद्दी कागजों, बुहारन, रसोईघर और भोजन की अपशिष्ट सामग्री, कूड़ा करकट और इसी प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए एक पात्र (कूड़ादान) रखेगा और प्रत्येक व्यक्ति ऐसी बेकार चीजों को एक ऐसे पात्र में डालेगा और कहीं अन्यत्र नहीं डालेगा।
- (3) ऐसे पात्र में पड़ी हुई सामग्री को प्रतिदिन, उसे रास्ते में बिखराये बिना, इस प्रयोजन के लिए आरक्षित स्थान पर डालेगा।
- (4) स्नानघर और शौचलय जैसी स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग इस ढंग से किया जायेगा कि कोई नाली कूड़ा-करकट, रद्दी कागज, बुहारन या इसी प्रकार की चीजों से रूकने न पावे।
- (5) किसी कूड़ादान या कचरा रखने की पेटी को किराया-किश्त केता के फ्लैट/भवन/भूखण्ड के बाहर या गलियारों या रास्तों में नहीं रखा जायेगा।
- (6) भवन के साझे के भाग खुले स्थान का उपयोग मूत्रालय के रूप में नहीं किया जायेगा।
- (7) किराया-किश्त केता के फ्लैट/भवन/भूखण्ड या साझा भाग के या सड़क के किसी भाग में कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं बिखेरा जायेगा और चारों ओर पास-पड़ोस को स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखा जायेगा।
- (8) फ्लैट/भवन/भूखण्ड के या कालोनी के किसी भाग का उपयोग खतरनाक, ज्वलनशील, या आपत्तिजनक सामग्री रखने या उसका भण्डार या ढेर लगाने के लिये नहीं किया जायेगा।
- (9) भवन के किसी भाग में एक दुधारू गाय या भैस के अतिरिक्त किसी पशु या पक्षी को उस प्रयोजन के लिए उपयुक्त व्यवस्था किये बिना नहीं रखा जायेगा।
- (10) प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि सम्पत्ति को कोई क्षति न हो या उसका क्षय न हो।
- (11) प्रत्येक व्यक्ति इस बात की सावधानी रखेगा कि पानी का नल या उसकी फिटिंग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और बिजली की लाइन और उसकी प्रतिष्ठापन को किसी से कोई बिगाड़ने न पाये।
- (12) सम्पत्ति का दुरुपयोग जैसे साझा गलियारा, साझा रास्ता, सीढ़ियाँ, चबूतरा प्रवेश मार्ग बनाने के लिए नहीं किया जायेगा, न करने की अनुमति दी जायेगी।

कमशः 26 पर

For Arsha Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

आवंटित  


सहायक आवास आयुक्त  
वृन्दावन योजना, लखनऊ

विक्रय अनुबंध विलेख (कब्जा)

113,050,000.00

33,915,000.00 10,000.00

40 10,040.00 2,000

प्रतिफल

मालियत

अग्रिम धनराशि

फीस रजिस्ट्री

नकल व प्रति शुल्क

योग

शब्द लगभग

श्री मे आर्जा इन्फ्रा डेव प्रा लि द्रा निदेशक मथुरेश श्रीवास्तव  
पुत्र श्री स्व रमाशंकर लाल श्रीवास्तव

व्यवसाय व्यापार

निवासी स्थायी 2/334, विवेक खन्ड गोमतीनगर लखनऊ  
अस्थायी पता -

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 6/1/2014 समय 3:29PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

*S. Srinivasa*



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बी. सी. सिंह  
उप निबन्धक (प्रथम)

निष्पादन लेखपत्र बाद सनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त  
विक्रेता

क्रेता *S. Srinivasa* 6/1/2014

इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि इस लेखपत्र का निष्पादन  
श्री बी के सिंह सहा आ आ उ प्र आ वि प लखनऊ  
ने अपने पद के अधिकार से किया है इसलिये उनकी उपस्थिति  
और हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं है, और लेखपत्र  
रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार किया गया।

श्री मे आर्जा इन्फ्रा डेव प्रा लि द्रा निदेशक मथुरेश  
श्रीवास्तव  
पुत्र श्री स्व रमाशंकर लाल श्रीवास्तव  
पेशा व्यापार  
निवासी 2/334, विवेक खन्ड गोमतीनगर लखनऊ



ने निष्पादन स्वीकार किया।

मिनकी पहचान श्री संजय श्रीवास्तव

पेशा वकालत

निवासी हाईकोर्ट लखनऊ

व श्री गुलाम मोहम्मद

पुत्र श्री

पेशा नौकरी

निवासी योजना सहायक आ विन्प लखनऊ

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अर्थात् निगमनानुसार लिखित



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बी. सी. सिंह  
उप निबन्धक (प्रथम)  
लखनऊ

6/1/2014

(26)

(13)परिसर में कोई वाहन लाने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि निवासियों के निर्वाध आवागमन में कोई अवरोध उत्पन्न न हो।

(14)उपर्युक्त किसी भी अनुबन्ध का पालन न करना अनुबन्ध के निबन्धनों का उल्लंघन करना होगा और परिषद ऐसी उल्लंघन के लिए किराया-किश्त केता के विरुद्ध उनके बीच निष्पादित अनुबन्ध के अधीन उसमें निहित शक्ति के अनुसार कार्यवाही करेगी।

(15) ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों से सम्बन्धित सभी नियम व शर्तें जो समय-समय पर लागू हो,मान्य होगी।

नोट:-(1) अतः शासनादेश सं०वि०क०नि 5-2756/11-2008-500(115)-2007 दिनांक 30.06.2008 के अन्तर्गत 7% की दर से ई स्टाम्प प्रमाण पत्र रू० 79,14,000.00 एवं रू० 2000.00 के स्टाम्प पेपर पर किराया किश्त कय अनुबन्ध निष्पादित किया जा रहा है।

वृन्दावन योजना संख्या-4 लखनऊ में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं० 14/GH-13 एवं कुल क्षेत्रफल 6650.00 वर्ग मीटर है। जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा वृन्दावन योजना लखनऊ हेतु निर्धारित भूमि दर रू० 19,500.00 एवं 24.00 मीटर चौड़ी सड़क पर एवं कार्नर भूखण्ड होने की दशा में 10% अतिरिक्त रू० 1,950.00 कुल रू० 21,450.00 प्रति वर्ग मीटर है। 1000 वर्ग मीटर तक रू० 21,450.00 एवं रू० 2,14,50,000.00 एवं रू० 19,500.00 - 30+ 13650.00= +10% X 15015 = क्षेत्रफल 5650.00 वर्ग मीटर की मालियत रू० 8,48,34,750.00 कुल रू० 10,62,84,750.00 बनता है। उक्त भूखण्ड लखनऊ - रायबरेली मुख्य मार्ग से 100 मीटर अधिक दूरी पर स्थित है। भूखण्ड में समाविष्ट भूखण्ड का क्षेत्रफल 6650.00 मीटर की मालियत रू० 11,30,50,000.00 है जिसपर नियमानुसार 7% प्रतिशत की दर से स्टाम्प रू० 79,14,000.00. का ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र एवं रू० 2000.00 के स्टाम्प पेपर कुल स्टाम्प रू० 79,16,000.00 पर किराया किश्त कय अनुबन्ध निष्पादित किया जा रहा है।

परिषद द्वारा मालियत रू० 11,30,50,000.00 जिसपर नियमानुसार 7 प्रतिशत की दर से स्टाम्प रू० 79,14,000.00. का ई स्टैम्प प्रमाण पत्र नं० IN UP 00211338655938M, DATE-01.01.2014 एवं रू० 2000.00 के स्टाम्प पेपर कुल स्टाम्प रू० 79,16,000.00 पर किराया किश्त कय अनुबन्ध निष्पादित किया जा रहा है।

हस्ताक्षर **आवंटी**


फर्म:- मैसर्स आर्शा इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा०लि०

निदेशक श्री मथुरेश श्रीवास्तव

पता 2/334, विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

For Arsha Infra Developers Pvt. Ltd

Authorized Signatory

  
(बी०के०सिंह)

सहायक आयुक्त  
वृन्दावन योजना, लखनऊ

क्रेता

Registration No. : 309

Year : 2,014

Book No. : 1

0201 मे आर्षा इन्फ्रा डेव प्रा लि द्वा निदेशक मधुरेश श्रीवास्तव  
स्व रमाशंकर लाल श्रीवास्तव  
2/334,दिवेक खन्ड गोमतीनगर लखनऊ  
व्यापार





**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER C.D. - 3**

U.P. AVAS EVAM VIKAS PARISHAD



OFFICE COMPLEX, III FLOOR, 9A, VRINDAVAN SCHEME No.-2,  
PART-2, RAI BAREILLY ROAD, LUCKNOW.

SITE PLAN OF GROUP HOUSING PLOT No.14/G.H-13 SECTOR-14  
AT VRINDAVAN YOJNA No.4, LUCKNOW.

OWNER SRI. /SMT. ARSHA INFRA DEVELOPERS PVT. LTD.

PLOT SIZE 70.00 M X 95.00 M CORNER

PLOT AREA 6650.00 SQM.



रजिस्ट्री हेतु निर्गत  
नियंत्रक क्रमांक 38 दिनांक 21/5/13

*[Signature]*  
D/MAN

*[Signature]*  
J/E.

*[Signature]*  
A.E.

आवंटी

*[Signature]*

सहायक आवास आयुक्त  
वृन्दावन योजना, लखनऊ

For Arsha Infra Developers Pvt. Ltd.

*[Signature]*  
Authorized Signatory

आज दिनांक 06/01/2014 को  
बही सं. 1 जिल्द सं. 16736  
पृष्ठ सं. 101 से 156 पर क्रमांक 309  
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बी. सी. शिंडे

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

8/1/2014

